वन विभाग की विभागीय ऑडिट समिति की (वर्ष 2020–21) की द्वितीय बैठक दिनांक 31.03.2021 का कार्यवाही विवरण

वन विभाग के ऑडिट समिति वर्ष 2020–21 की द्वितीय बैठक दिनांक 31.03.2021 को अरण्य भवन के कॉन्फ्रेन्स हॉल में श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है।

सर्वप्रथम श्रीमती श्रुति शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) एवं संजय सोलंकी, वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रशासनिक (वन) विभाग, महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग एवं वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों तथा विडियोकान्फ्रेसिंग से ऑनलाईन जुडे हुए अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से गत बैठक की कियान्विती रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर ऑडिट समिति की बैठक में विचार विमर्श हेतु एजेण्डा बिन्दुओं का विस्तृत विवरण संजय सोलंकी, वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

जन लेखा समिति

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग द्वारा जन लेखा समिति वर्ष 2019–20 के 49वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 1 से 17 के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को 15 दिवस में अनुपालना भिजवाने बाबत निर्देश दिये। जन लेखा समिति वर्ष 2017–18 के 252वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 6,7,8 की अग्रेतर क्रियान्विति शीघ्र भिजवाने हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) को निर्देश दिये। जन लेखा समिति वर्ष 2007–08 के 206वां प्रतिवेदन की सिफारिश सख्या 1 से 4 के संबंध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) को 15 दिवस में वित्तीय सलाहकार से चर्चा कर अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया। सिफारिश संख्या 5 के संबंध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) को प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि अपने अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित करावें एवं दिये गये निर्देशों के अनुसार सिफारिश संख्या 5 की अनुपालना शीघ्र प्रेषित करावें एवं 206वें प्रतिवेदन के जन लेखा समिति वर्ष 2005–06 का 105वां प्रतिवेदन के द्वितीय प्रकरण की सिफारिश संख्या 11,20,25,30,33,34,36,43,44 एवं 45 के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, कोटा को प्रतिवेदन की प्रति की प्राप्ति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से जानकारी कर अवगत कराने एवं शीघ्र अनुपालना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जन लेखा समिति वर्ष 2020–21 का 92वां प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 17,18,19 के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को एक सप्ताह में अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये।

सी.ए.जी

सी.ए.जी. (आर्थिक) वर्ष 2017–18 के अनुच्छेद संख्या 3.3, 3.4 के संबंध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) को एक सप्ताह में अनुपालना भिजवाने के निर्देश दिये। सी.ए.जी (राज्य वित्त) वर्ष 2018–19 के अनुच्छेद संख्या 3.3 के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर को शीघ्र अनुपालना प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

ड्राफ्ट पैरा

"Outcomes in surface Irrigation" ड्राफ्ट पैरा के संबंध में अनुपालना 15 दिवस में भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, (कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर) को निर्देशित किया गया।

तथ्यात्मक विवरण

प्रमुख शासन सचिव, महोदया द्वारा जन लेखा समिति एवं सी.ए.जी. के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाकर समय पर पालना क्रियान्विति प्रेषित करने बाबत निर्देश दिये गये।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के संबंध में तथ्यात्मक विवरण की अनुपालना 15 दिवस में भिजवाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) को निर्देशित किया।

महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि जिस नियंत्रक अधिकारी के अधीन वाले कार्यालय/संभाग के 100 से अधिक पैराज बकाया है वे व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करके बकाया पैराज का अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना रिपोर्ट महालेखाकार को शीघ्र प्रेषित करें। कार्यालयवार संभाग स्तर पर 100 से अधिक पैराज निम्न कार्यालयों के बकाया है:–

मुख्य वन संरक्षक अजमेर–104

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर–201

मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर–129

मुख्य वन संरक्षक, कोटा–169

मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर–185

मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर–131

मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर–198

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षैत्रिय निदेशक आर.टी.आर. रणथम्भौर स.माधोपुर–110

उक्त कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारियों/मुख्य वन संरक्षकगणों को प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रक्रिया को एक अभियान के रूप में लेते हुये अतिशीघ्र निरस्त करवाने की कारवाई हेतु ठोस प्रयास करें।

बैठक में उप महालेखाकार (ऑडिट–II) राज. जयपुर ने कहा की सभी नियंत्रण अधिकारीगण अपने अधिनस्थ कार्योलयों को निर्देशित करावें कि अनुपालना के साथ साक्ष्यों/दस्तावेजो की प्रतियां भी संलग्न कर बिन्दुवार प्रेषित करावें, ताकि बकाया पैराज का निस्तारण किया जा सके।

महालेखाकार प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना

महालेखाकार के 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रेषित नहीं की गई है। वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) के द्वारा एक प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 24.03.2021 को सीधे ही ए.जी. कार्यालय को भिजवा देना अवगत कराया गया। प्रमुख शासन सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा प्रथम अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुए सम्बन्धित समस्त नियंत्रण अधिकारीगण एवं उनके अधीनस्थ अधिकारीगणों को भविष्य में निर्धारित समयावधि में प्रथम अनुपालना रिपोर्ट भिजवाये जाने एवं उसकी आवश्यक रूप से प्रति वित्तीय सलाहकार को भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये।

चोरी, हानि एवं गबन

चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इन प्रकरणों के सम्बन्ध में काफी पत्राचार करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है। प्रमुख शासन सचिव, वन ने प्रकरणों के निस्तारण हेतु ठोस प्रयास करने के निर्देश दिये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा सभी सम्बन्धित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन संरक्षकों को चोरी/हानि एवं गबन के बकाया प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रकरणों की प्रकृति अनुसार अपलेखन/न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में पी.डी.आर. एक्ट/न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी न्यायालय के समक्ष पूर्ण प्रमाणों सहित मजबूती से विभागीय पक्ष रखकर प्रकरण शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु प्रभावी प्रयास करें।

निदेशक निरीक्षक विभाग आंतरिक जांच

निदेशक, निरीक्षक विभाग के 97 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 604 अनुच्छेद बकाया हैं। सबसे अधिक पैरा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर एवं जोधपुर तथा वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, (मुख्यालय) के बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा अधिक पैरा बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं नियंत्रण अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग कर किसी जिम्मेदार अधिकारी को निदेशक, निरीक्षण विभाग से सम्पर्क करने हेतु पाबंद कर पैरा निस्तारण के संबंध में ठोस

अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर निरीक्षण विभाग को भिजवायी जाए। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन कार्यालयों की बकाया राशि करोड़ों रूपये में दर्शित की गई है वे निदेशक, निरीक्षण विभाग के कार्यालय से सर्म्पक कर बकाया राशि के पैरा के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें।

<u>निदेशक निरीक्षक विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन</u>

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा समस्त नियंत्रक अधिकारियों /अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षकों को उनके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स के अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण पालना तैयार करवाकर एवं नकारा सामान के निस्तारण की प्रकिया को सुग्राहीकृत (Sensitize) करते हुए इसे एक अभियान के रूप में चलाकर ठोस प्रयास करें तथा उन्हें स्वयं के स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये। प्रमुख शासन सचिव द्वारा निरीक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स के निस्तारण हेतु संभाग स्तर पर कैम्प आयोजित करने की आवश्यकता बताई गई तथा सभी मुख्य वन संरक्षकों को कैम्प के दौरान अधिक से अधिक प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। वित्तीय सलाहकार द्वारा कहा गया है कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स की बड़ी राशियां दर्शित हो रही है, अतः वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(1)वित्त/साविलेनि/2005/05.09.2019 एवं पार्ट I दिनांक 20.07.2020 के अनुसार निस्तारण अभियान को तेज गति दी जाये। संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को यह भी कहा गया की बहुत अधिक संख्या में ऐसे प्रतिवेदन है जो वर्षो पुराने है एवं उनकी प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। इनकी अनुपालना भेजने को उच्च प्राथमिकता दी जाये।

<u>निदेशक निरीक्षक विभाग, विशेष जांच</u>

प्रमुख शासन सचिव ने 15 विशेष जांच प्रतिवेदनों के काफी लम्बे समय से बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्य वन संरक्षक, कोटा के 5 प्रकरणों में सबसे अधिक 190 अनुच्छेद बकाया होने की वजह से झालावाड एवं बारां कार्यालयों के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि आक्षेपों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा कर प्रतिवेदनों की ठोस/आक्षेपानुसार पालना वित्तीय सलाहकार को शीघ्र प्रेषित की जाए। साथ ही सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पुरानी रिपोर्ट को ज्यादा गम्भीरता से लेते हुये व्यक्तिगत ध्यान देकर पालना प्रेषित की जाए।

ओ.बी. आईटम्स

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया गया कि सबसे अधिक ओ.बी.आईटम मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर के बकाया होने की वजह से ओ.बी.आईटम्स सम्बन्धित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुये परीक्षण कर बकाया ओ.बी. आईटम्स के निस्तारण की कारवाई की जाए तथा अन्य कार्यालयों को भी बकाया ओ.बी.आईटम निस्तारण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऑडिट सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर इनके निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें तथा ऑडिट सम्बन्धी प्रतिवेदन/पैराओं के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया जावे। साथ ही एजेण्डा बिन्दुओं पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरणों की आगामी बैठक से पूर्व उन्हें दिये लक्ष्यों के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

श्रुति

(श्रुति शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2018–19/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/ 208–332 दिनांक : 06.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/TREE/ राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अति., प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वयन) एवं नोडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर
11. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP/उत्पादन/प्रशासन/FCA/वन सुरक्षा/कैम्पा जयपुर।
12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, (RFBP) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
13. निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
14. सदस्य सचिव, जैव विविधता (Biodiversity board)बोर्ड, अरावली भवन, राजस्थान, जयपुर।

15. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/FPRP (बनास)/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/ भरतपुर/सदस्य सचिव, बायोडाईवर्सिटी बोर्ड, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव, जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, कोटा/वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर/आर.वी.पी. कोटा/बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/ मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)/(आयोजना)/कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त/वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
17. समस्त उप वन संरक्षक।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
19. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विभागीय ऑडिट समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2020–21) दिनांक 31.03.2021 को अरण्य भवन में उपस्थित अधिकारीगण

1. श्रीमती श्रुति शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर।
2. श्री एम.एल. मीणा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रति. राज. जयपुर।
3. श्री वी.प्रवीण, शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्री संजीव कुमार सुराणा, उप महालेखाकार ऑडिट –II राज. जयपुर।
5. श्री संजय सोलंकी, वित्तीय सलाहकार वन विभाग राज. जयपुर।
6. श्री अरिन्दम तोमर, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राज. जयपुर।
7. श्री के.सी. मीणा, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
8. श्री प्रिय रन्जन, सदस्य सचिव, राज. जयपुर।
9. श्री प्रदीप माथुर, अति. निदेशक, निरीक्षण विभाग राज. जयपुर।
10. श्री जम्बु कुमार जैन, मुख्य लेखाधिकारी राज. जयपुर।
11. श्री पी.सी. कल्यानिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ऑडिट –II राज. जयपुर।
12. श्री बाल गोविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी राज. जयपुर।
13. श्रीमती सीमा यादव, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वन विभाग राज. जयपुर।
14. श्री जगदीश लाल मीणा, सहायक शासन सचिव, राज. जयपुर।
15. श्री हीरा लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी–I कार्यालय प्रमुवसं (हॉफ) राज. जयपुर।

अन्य अधिकारीगण जिनसे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की गई।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राजस्थान जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वयन) एवं नोडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP / उत्पादन / प्रशासन / FCA / वन सुरक्षा / कैम्पा जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, (RFBP) राजस्थान, जयपुर / अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
5. निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, कोटा / विभागीय कार्य, जयपुर / FPRP(बनास) / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, कोटा / वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर / आर.वी.पी. कोटा / बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर / मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) / (आयोजना) / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त / वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
7. समस्त उप वन संरक्षक।